न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
2128 / 2018 प्रा0प0	23.10.2018	30.12.2021

मोहन पिता भज्जा रेगर उम्र वयस्क निवासी रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर

———प्रार्थी

।। बनाम ।।

श्री सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

————विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– श्री जाहिद रजा वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम रेवलिया खुर्द पटवार हल्का रेवलिया खर्दु, तहसील भदेसर की साबिक खाता संख्या नया 294 व पुराने 244 में अंकित अराजी नम्बर 109/2 रकबा 5 बीघा दर्ज रेकार्ड थी जिसके वर्तमान में सेटलमेंट होने से प्रार्थी का रकबा 1.08 हैक्टेयर को हाल आराजी नम्बर 202,203,207,208 में मिलाते हुए बिलानाम सरकार अंकित कर दिया। साक्ष्य में जमाबंदी संवत् 2065–2068 एवं 2070–2073, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस नया एवं पुराना संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. प्रार्थी साबिक रेकार्ड अनुसार 5 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन सेटलमेंट होने से भू प्रबंध अधिकारियो ने प्रार्थी का रकबा 1.08 हैक्टेयर को बिलानाम सरकार करते हुए हाल आराजी नम्बर 202,203,207,208 में मिला दिया जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार नहीं था।
3. भू प्रबंध अधिकारियो व कर्मचारियो को प्रार्थी [illegible] आराजीयात को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। [illegible] अधिकारियों ने प्रार्थी के हक हिस्से को मन मुताबिक राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन कर दिया जो एक गंभीर [illegible] है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

इसलिये राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी अपने साबिक रेकार्ड अनुसार रकबा 5 बीघा (1.08 हैक्टेयर) को हाल आराजी 202,203,207,208 में से 1.08 हैक्टेयर पुनः अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा कर दुरूस्ती कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित खातों वाली कृषि आराजीयात को भूप्रबंध के दौरान भूप्रबंध अधिकारियो द्वारा साबिक रेकार्ड व नवीन रेकार्ड का मिलान नहीं करते हुए घोर लापरवाही पूर्वक भू प्रबंध किया जिससे प्रार्थीगण की साबिक आराजी नं0 109/2 रकबा 5 बीघा को बिलानाम आराजी नम्बर 202,203,207,208 में मिला दिया जबकि वर्तमान में भी प्रार्थी साबिक रेकार्ड अनुसार ही अपनी आराजीयात पर काबिज है। अतः आराजी नम्बर 202,203,207,208 में से 1.08 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पुनः राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा उसी अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये समन तलब किया गया। बरोज पेशी उपस्थित।

प्रार्थी के अधिवक्ता बहस सुनी गई, जिन्होनें प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/958 दिनांक 20.12.2021 से कमीश्नरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थी मोहन पिता भज्जा रेगर निवासी रेवलिया खुर्द पटवार हल्का रेवलिया खुर्द के साबिक आराजी नम्बर 109/2 रकबा 5 बीघा खातेदारी में दर्ज है लेकिन भू–प्रबंध अधिकारियो द्वारा दौराने सेटलमेंट मिलान क्षेत्रफल एवं राजस्व रेकार्ड के नक्शे में अशुद्धि कर देने से प्रार्थी साबिक रेकार्ड अनुसार हाल आराजी नम्बर 191 रकबा 0.95 हैक्टेयर में सम्पूर्ण रकबे एवं आराजी 192 रकबा 0.32 हैक्टेयर में से 0.13 हैक्टेयर पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। आराजी नम्बर 191 एवं 192 बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों [illegible] रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है [illegible] रेवलिया खुर्द पटवार हल्का रेवलिया खुर्द तहसील भदेसर में प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज साबिक आराजी नं 109/2 रकबा 5 बीघा भूमि जिसे भू प्रबंध अधिकारियो द्वारा बिलानाम सरकार आराजी नं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

202,203,207,208 में मिला दिया है। परंतु नक्शे में वादी की आराजीयात को गलत तरमीम कर मिलान में नये आराजी नम्बर 191 एवं 192 बना दिये। प्रार्थी वर्तमान में बिलानाम सरकार आराजी नं. 191 के सम्पूर्ण रकबे 0.95 हैक्टेयर एंव आराजी नम्बर 191 रकबा 0.32 हैक्टेयर में से 0.13 हैक्टेयर जिस पर प्रार्थी वर्तमान में काबिज होकर काश्त कर रहा है। अतः प्रार्थी मोहन पिता भज्जा रेगर निवासी रेवलिया खुर्द को मौके पर कब्जे अनुसार आराजी नम्बर 191 रकबा 0.95 हैक्टेयर में सम्पूर्ण रकबे एवं आराजी 192 रकबा 0.32 हैक्टेयर में से 0.13 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी में इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार नक्शे में भी तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय पृथक से टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner